


फरद अहकाम

कैलाश चन्द बनाम राजस्थान सरकार

संख्या-3957/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.12.2024	<p>प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने वहरस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम जयचन्दपुरा पटवार हल्का विधानी भूअभि.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता सख्या 9 की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 112 रकवा 0.43 है०, खसरा न० 122 रकवा 0.62 है०, खसरा न० 133 रकवा 0.23 है०, खसरा न० 137 रकवा 0.06 है०, खसरा न० 138 रकवा 0.01 है० खसरा न० 141 रकवा 0.05 है०, खसरा न० 142 रकवा 0.40 है०, खसरा न० 158 रकवा 0.38 है०, खसरा न० 164 रकवा 0.21 है०, खसरा न० 165 रकवा 0.30 है०, खसरा न० 171 रकवा 0.04 है० खसरा न० 172 रकवा 0.19 है०, खसरा न० 173 रकवा 0.39 है०, खसरा न० 49 रकवा 3.80 है०, खसरा न० 52/179 रकवा 0.27 है० खसरा न० 89 रकवा 0.25 है०, खसरा न० 93 रकवा 3.55 है०, खसरा न० 94 रकवा 0.17 है० कुल किता 18 कुल रकवा 11.35 है० व हाल खाता सख्या 10 की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 193/175 रकवा 0.0850 है०, खसरा न० 195/175 रकवा 0.3062 है० कुल किता 2 कुल रकवा 0.3962 है० व हाल खाता सख्या 20 के खसरा न० 104 रकवा 0.02 है०, खसरा न० 105 रकवा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकवा 0.09 है० मे हिस्सा 1/6 व हाल खाता सख्या 21 के खसरा न० 152 रकवा 0.01 है०, खसरा न० 153 रकवा 0.04 है० कुल किता 2 कुल रकवा 0.05 है० मे प्रार्थी का 7/24 हिस्सा, व हाल खाता सख्या 28 की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 111/185 रकवा 0.04 है० व हाल खाता सख्या 30 के खसरा न० 132 रकवा 0.04 है० खसरा न० 154 रकवा 0.07 है०, खसरा न० 90 रकवा 0.04 है० कुल किता 3 कुल रकवा 0.15 है० मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में सहवन से भंवरलाल अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी के दत्तक पिता का सही नाम समस्त दस्तावेजात यथा वोटर आई डी , राशन कार्ड , बैंक पास बुक, वशियत व पट्टे में भौरीलाल अंकित है। अतः निवेदन है कि उक्त आराजीयात में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम भंवरलाल के स्थान भौरीलाल किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कैलाश चन्द बनाम राजस्थान सरकार

संख्या 3957/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8.12.2024	<p>बहरस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का गय दरतावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण का नाम सम्पूर्ण दरतोजात में प्रार्थी के दत्तक पुत्र का नाम भौरीलाल अंकित है सम्पूर्ण दरतावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि बाके ग्राम जयचन्दपुरा पटवार हल्का विधाणी भू.अ.गि.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 9 की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 112 रकबा 0.43 है०, खसरा न० 122 रकबा 0.62 है०, खसरा न० 133 रकबा 0.23 है०, खसरा न० 137 रकबा 0.06 है०, खसरा न० 138 रकबा 0.01 है० खसरा न० 141 रकबा 0.05 है०, खसरा न० 142 रकबा 0.40 है०, खसरा न० 158 रकबा 0.38 है०, खसरा न० 164 रकबा 0.21 है०, खसरा न० 165 रकबा 0.30 है०, खसरा न० 171 रकबा 0.04 है० खसरा न० 172 रकबा 0.19 है०, खसरा न० 173 रकबा 0.39 है०, खसरा न० 49 रकबा 3.80 है०, खसरा न० 52/179 रकबा 0.27 है० खसरा न० 89 रकबा 0.25 है०, खसरा न० 93 रकबा 3.55 है०, खसरा न० 94 रकबा 0.17 है० कुल कित्ता 18 कुल रकबा 11.35 है० व हाल खाता संख्या 10 की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 193/175 रकबा 0.0850 है०, खसरा न० 195/175 रकबा 0.3062 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.3962 है० व हाल खाता संख्या 20 के खसरा न० 104 रकबा 0.02 है०, खसरा न० 105 रकबा 0.07 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.09 है० मे हिस्सा 1/6 व हाल खाता संख्या 21 के खसरा न० 152 रकबा 0.01 है०, खसरा न० 153 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.05 है० मे प्रार्थी का 7/24 हिस्सा, व हाल खाता संख्या 28 की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 111/185 रकबा 0.04 है० व हाल खाता संख्या 30 के खसरा न० 132 रकबा 0.04 है० खसरा न० 154 रकबा 0.07 है०, खसरा न० 90 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.15 है० मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर भौरीलाल राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहसीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)